न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 199/2022
GCMS NO. : **2022/373**

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. कैलाशचन्द्र पुत्र लाबुराम
2. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र
जातियान–माली,निवासीगण–जैतारण,
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
राज0।

1.नरेन्द्रसिंह पुत्र जसाराम
2.पानीदेवी पत्नी अनाराम
(विलोपित)
3.मदन पुत्र घमंडाराम फौत के
कायम मुकाम
3/1– चिमुडी पत्नी मदनलाल
3/2– घनश्याम पुत्र मदनलाल
3/3– सम्पत पुत्र मदनलाल
3/4– सन्तोष पुत्री मदनलाल
3/5– कंचन पुत्री मदनलाल
4.राजूराम पुत्र जसाराम
5.रामप्रकाश पुत्र जसाराम
6.रामप्रकाश पुत्र अन्नाराम
7.रामेश्वरलाल पुत्र अन्नाराम
8.लाबु पुत्र घमंडाराम
9.श्रीलाल पुत्र जसाराम
जातियान–माली,
निवासीगण–जैतारण,
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
राज0।
10.तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः–01.12.2022**

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री जगदीश सोलंकी–द्वितीय, अधिक्वता, प्रतिवादी संख्या 3/5।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 21/10/2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत्, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन खसरा नंबर 613 रकबा 2.3876 हैक्टेयर (14 बीघा 15 बिस्वा) किस्म बारानी दोयम की आई हुई है उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल व ट्रेस नक्शा की नकल व मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे एवं सम्पूर्ण भूमि में वादी

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 3/40 हिस्सा यानि वादीगण का सम्पूर्ण भूमि में 1/5 वां हिस्सा आता हैं। जिसपर वादीगण काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कार्य करते आ रहे हैं। मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से काश्त करते आ रहे हैं। एवं वादीगण के हिस्से की भूमि तरमीम नहीं होने से आपस में विवाद रहता है। इसलिए मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस से किया जाना जरूरी है वादीगण अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा कराये बिना बैंक से ऋण नहीं ले सकेते और न अपने हिस्से की जमीन का सुधार करवा सकते है इसलिए बंटवाड़ा करके वादीगण के हिस्से की जमीन को तरमीम किया जाकर खाता अलग-अलग किया जावे और लगान भी अलग की जावे ताकि मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। इसलिए दावा बटवाड़ा प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण यह कहते रहे कि बंटवाड़ा करवा लेगे लेकिन दिनांक 12.10.2022 को प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा कराने से मना करने पर यह वाद पेश किया जा रहा है मौके पर हर रोज माठ को लेकर आपस में विवाद होता रहता है यदि मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तो पक्षकारान आपस में झगड़ा करेंगे जिससे वादीगण को अपने हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकेंगे तथा जिससे वादीगण को नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिए मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी हैं। वादी का बिनाय दावा दिनांक 12.10.2020 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कराने से साफ इन्कार करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ, जो अदालतबाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर मयाद पेश हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 3/1 से 3/4, 4 से 9 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन्/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3/5 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जवाब नहीं देना चाहते है। वादी संख्या 02 के साक्ष्य-शपथ अनुसार दस्तावेजात प्रदर्श करवाए, शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, साक्ष्य शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई, गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान सम्वत 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नंबर 613 रकबा 2.3876 (14 बीघा 15 बिस्वा) में वादी संख्या 01 का 1/8 वां हिस्सा व वादी संख्या 02 का 3/40 वां हिस्सा शेष प्रतिवादीगण से पृथक-पृथक करते हुए माफिक बाई मिण्ट्स एण्ड

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 613 रकबा 2.3876 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2024/889 दिनांक 29/07/2024 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/4831 दिनांक 22/08/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 613 रकबा 2.3876 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	कैलाशचन्द्र पुत्र लाबूराम हिस्सा 2985/4776, बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1791/4776, कौम–माली सा. देह खातेदार।	613/1	0.4776	बा.दो.	0.15
	योग	**01**	**0.4776**	बा.दो.	**0.15**
2.	गेदादेवी पुत्री अन्नाराम हिस्सा 530/19100, नरेन्द्रसिंह पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, मदन पुत्र घमंडाराम हिस्सा 4775/19100, राजुराम पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, रामप्रकाश पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, रामप्रकाश पुत्र अन्नाराम हिस्सा 2122/19100, रामेश्वरलाल पुत्र अन्नाराम हिस्सा 2122/19100, लाबु पुत्र घमंडाराम	613	1.5405	बा.दो.	0.4700
		613/2	0.3695	बा.दो.	0.12

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

	हिस्सा 4775/19100, श्रीलाल पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, कौम माली सा.देह खातेदार				
	योग	02	1.9100	बा.दो	0.59

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को सर–इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र लाबुराम
2. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र

जाति–माली,निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र जसाराम
2. पानीदेवी पत्नी अनाराम (विलोपित)
3. मदन पुत्र घमंडाराम फौत के कायम मुकाम
   - 3/1– चिमुडी पत्नी मदनलाल
   - 3/2– घनश्याम पुत्र मदनलाल
   - 3/3– सम्पत पुत्र मदनलाल
   - 3/4– सन्तोष पुत्री मदनलाल
   - 3/5– कंचन पुत्री मदनलाल
4. राजूराम पुत्र जसाराम
5. रामप्रकाश पुत्र जसाराम
6. रामप्रकाश पुत्र अन्नाराम
7. रामेश्वरलाल पुत्र अन्नाराम
8. लाबु पुत्र घमंडाराम
9. श्रीलाल पुत्र जसाराम

   जातियान–माली, निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राज०।
10. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 199/2022
निर्णय व डिक्री दिनांक :–21/10/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी , अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व जगदीश सोलंकी– द्वितीय प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 613 रकबा 2.3876 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	कैलाशचन्द्र पुत्र लाबूराम हिस्सा 2985/4776, बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1791/4776, कौम–माली सा. देह खातेदार।	613/1	0.4776	बा.दो.	0.15
	योग	**01**	**0.4776**	**बा.दो.**	**0.15**
2.	गेदादेवी पुत्री अन्नाराम हिस्सा 530/19100, नरेन्द्रसिंह पुत्र	613	1.5405	बा.दो.	0.4700
		613/2	0.3695	बा.दो.	0.12

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

	जसाराम हिस्सा 1194/19100, मदन पुत्र घमंडाराम हिस्सा 4775/19100, राजुराम पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, रामप्रकाश पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, रामप्रकाश पुत्र अन्नाराम हिस्सा 2122/19100, रामेश्वरलाल पुत्र अन्नाराम हिस्सा 2122/19100, लाबु पुत्र घमंडाराम हिस्सा 4775/19100, श्रीलाल पुत्र जसाराम हिस्सा 1194/19100, कौम माली सा.देह खातेदार				
	योग	02	1.9100	बा.दो	0.59

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/10/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं प्रदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	–
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	10–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	15–00	मिजानः–	–NIL–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।